तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./3798/2006/पाली** **बुधाराम वगैरह बनाम कन्या वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19-03-2025	**एकल पीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण श्री वी.एस. राठौड़, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक प्रार्थिया कमला पत्नि नारायण लाल **आदेश** 1— हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—76 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18—3—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2— अपील ज्ञापन अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खीवाड़ा तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 1372/1 रकबा 2.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 1367/2 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 1370 रकबा 0.01 हैक्टर गैरमुमकिन बैरा में आधा हिस्सा, खसरा नम्बर 1367/4 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1369 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1368/3 रकबा 0.03 हैक्टर, में 1/4 हिस्सा भूमि की खातेदारी श्री बींजाराम पुत्र उमाजी जाति रैबारी निवासी गुडा ठाकुरजी के नाम दर्ज थी। उक्त खातेदार श्री बींजाराम पुत्र उमाजी का देहान्त दिनांक 06—2—2001 को होने पर तहसीलदार देसूरी ने नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 01—10—2001 को प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमति कन्या तथाकथित पत्नि बींजाराम एवं श्रीमति जतून बेवा बींजाराम के नाम स्वीकृत कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 01—10—2001 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 श्रीमति जाजू एवं श्रीमति मगदू ने एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18—3—2005 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण संख्या 542 पर तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार देसूरी को प्रतिप्रेषित कर मृतक बींजाराम की वर्णित खातेदारी की भूमि श्रीमति जाजू पुत्री श्री बींजाराम, श्रीमति मगदू पुत्री बींजाराम तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती कन्या पत्नि बींजाराम के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मंण्डल न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3— हस्तगत अपील में प्रार्थिया कमला पत्नि नारायणलाल जाति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एल.आर./3798/2006/पाली</u>** **बुधाराम वगैरह बनाम कन्या वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीरवी निवासी ठाकुरजी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर मण्डल ने आदेश दिनांक 01–3–2017 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थिया को हस्तगत अपील में पक्षकार संयोजित किया गया। 4– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 5– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि नामान्तकरण संख्या 542 में वर्णित आराजी का खातेदार श्री बींजाराम पुत्र उमा अपीलार्थी संख्या 1 से 8 के पिता एवं अपीलार्थी संख्या 9 के पति थे, जिनके देहान्त होने पर उक्त आराजी का नामान्तकरण बहिस्सा बराबर सभी अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिए था। श्री बींजाराम का देहान्त होने की दिनांक को प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती कन्या बींजाराम की पत्नि नहीं थी। उसके नाम तहसीलदार ने नामान्तकरण स्वीकृत कर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर ने नामान्तकरण संख्या 542 को निरस्त कर दिया, किन्तु बींजाराम के सभी वारिसान की जांच की जाकर सुनवाई का अवसर देने के बजाय केवल प्रत्यर्थीगण को बींजाराम का वारिसान मानकर नामान्तकरण खोले जाने का आदेश देकर अपनी अधिकारिता के परे आदेश पारित किया, जबकि अपीलार्थी संख्या 1 से 8 बींजाराम के पुत्र एवं पुत्रियां हैं एवं अपीलार्थी संख्या 9 बींजाराम की बेवा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती कन्या बींजाराम की पत्नि नहीं है, बल्कि बींजाराम के जीवनकाल में ही श्रीमती कन्या से तलाक होकर श्रीमती कन्या ने किसी ओर से शादी कर ली थी। बींजाराम को तलाक देने के बाद वह बींजाराम की पत्नि नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसके परिवार से सारे संबंध विच्छेद हो चुके थे। इस बिन्दु पर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया। न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर ने तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण नियमों की अनदेखी मानते हुये पारित किया जाना माना है, किन्तु संभागीय आयुक्त ने केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को बींजाराम के वारिसान मानते हुये अन्य वारिसान के बारे में बिना जांच किये एवं कन्या को बींजाराम की पत्नि मानकर निर्णय देकर जो नामान्तकरण स्वीकृत करने में तहसीलदार ने गलती की है, उसी प्रकार से अपीलीय न्यायालय द्वारा भी पुनरावृत्ति की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय दिनांक 18–3–2005 एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 01–10–2001 को निरस्त फरमाया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एल.आर./3798/2006/पाली</u>** **बुधाराम वगैरह बनाम कन्या वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जावे।

6— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषकगण प्रत्यर्थीगण एवं प्रार्थिया कमला का कथन है कि वादग्रस्त भूमि मृतक बींजाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि थी। बींजाराम द्वारा अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 1 कन्या से ही विवाह किया था। मृतक बींजाराम की खातेदारी की भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती कन्या पत्नि बींजाराम तथा श्रीमति जाजू पुत्री श्री बींजाराम, श्रीमति मगदू पुत्री बींजाराम ही विधिक उत्तराधिकारीगण है। वारिसान नामान्तकरण का मामला संक्षिप्त जांच का है, इसलिए न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने प्रत्यर्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। अपीलार्थी संख्या 9 जतनो मृतक खातेदार बींजाराम के साथ बिना किसी रीति रिवाज के साथ रहने लगी थी तथा उससे हुए संतान को मृतक खातेदारी की चल व अचल सम्पति में अधिकार हासिल नहीं हो सकते हैं। अपीलार्थीगण मृतक बींजाराम के धर्मज संतान व पत्नि है इसलिए अपीलार्थीगण के पक्ष में विधिनुसार नामान्तकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता। न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपील में दोनों पक्षों का पूर्ण विश्लेषण कर अपना निर्णय दिया था, जिसमें उनके द्वारा तहसीलदार देसूरी का दो विधवाओं के नाम नामान्तकरण स्वीकृत करना हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विधिसम्मत नहीं माना था तथा प्रत्यर्थीगणों द्वारा सिविल न्यायालय (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मारवाड़ जंक्शन में बींजाराम द्वारा दिये बयान दिनांक 14—5—1998 को भी निर्णय का उचित प्रकार से आधार बनाया जिसमें बींजाराम ने स्वीकार किया था कि उसकी शादी श्रीमति कन्या के साथ हुई थी। प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 बींजाराम व कन्या की पुत्रियां होकर उक्त निर्णय में कन्या के साथ—साथ पुत्रियों के पक्ष में भी नामान्तकरण स्वीकृति निर्णय दिया गया था। इस प्रकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय उचित है, अतः अपील खारिज की जावे।

7— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।

8— तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 01—10—2001 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने तहसीलदार के निर्णय अनुसार श्रीमति कन्या व श्रीमति जतनो को विपक्षीगण पक्षकार बनाया था, न्यायालय ने प्रस्तुत अपील में दोनों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील/एल.आर./3798/2006/पाली</u>** **बुधाराम वगैरह बनाम कन्या वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षों का पक्ष सुनकर ही निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। बींजाराम की मृत्यु पश्चात उसके नाम दर्ज भूमि की विरासत बाबत् अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार दो विधवाओं के नाम नामान्तकरण दर्ज करना विधिसम्मत नहीं मानते हुए विवादित पत्नि बाबत् स्वयं बींजाराम ने सक्षम न्यायालय में दिये गये सशपथ बयानों को अपने निर्णय का एक आधार बनाना विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण कार्यवाहीं ही थी। नामांतरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसीडिंग होकर फिसकल उद्देश्य कार्यवाहीं है, जिसके आधार पर स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। पक्षकार अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर कर सकते हैं। 9– उपरोक्त विवेचन अनुसार हमारा निष्कर्ष है कि न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में ऐसी कोई विधिक अथवा तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–03–2005 विधिक रूप से उचित होने से पुष्टी योग्य है। अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य हैं। 10– निर्णयस्वरूप हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	